न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2015

अपीलांट –

1. तनसिंह पुत्र राजसिंह
   जाति राजपूत निवासी चाडार
   बांकलसर तहसील रामसर
   जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार रामसर
2. सत्यपालसिंह पुत्र फतेहसिंह
3. देशकंवर पत्नी उगमसिंह
4. रणवीरसिंह पुत्र उगमसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र उगमसिंह
6. इश्वरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
7. गणपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
8. उगमकंवर पत्नी उम्मेदसिंह
9. देशकंवर पत्नी रूगसिंह
10. सवाईसिंह पुत्र रूगसिंह
11. जसपालसिंह पुत्र रूगसिंह
12. धनसिंह पुत्र हुकमसिंह
13. वीरेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह
14. नरेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह
15. बाईराजकंवर पत्नी हुकमसिंह
16. छगनकंवर पत्नी राजसिंह
17. बहादुरसिंह पुत्र राजसिंह
    जाति राजपूत निवासी चाडार
    बांकलसर तहसील रामसर जिला
    बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 643 दिनांक 13.07.2015 जो तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :–

1. श्री उगमसिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 2 से 17 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम पाबूसरिया तहसील रामसर के नामान्तरकरण सं. 643 पर तहसीलदार रामसर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 04.03.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा पाबूसरिया पटवार क्षेत्र कंटल का पार के खसरा नंबर 72 रकबा 25 बीघा 08 बीस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 76 बीघा 18 बीस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 14 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नबंर 99 रकबा 29 बीघा, खसरा नंबर 107 रकबा 91 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नंबर 244/73 रकबा 13 बीघा 12 बीस्वा, खसरा नंबर 246/73 रकबा 13 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 333 बीघा 11 बीस्वा भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 17 के आये हुए थे। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में आपसी सहमति विभाजन होने से तहसीलदार के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 643 दायर कर तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 13.07.2015 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। मौजा पाबूसरिया पटवार क्षेत्र कंटल का पार के खसरा नंबर 72 रकबा 25 बीघा 08 बीस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 76 बीघा 18 बीस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 14 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नबंर 99 रकबा 29 बीघा, खसरा नंबर 107 रकबा 91 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नंबर 244/73 रकबा 13 बीघा 12 बीस्वा, खसरा नंबर 246/73 रकबा 13 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 333 बीघा 11 बीस्वा भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 17 के आये हुए थे। संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु समस्त सहखातेदारान द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

न्याय आपके द्वार 2015 में सहमति विभाजन करवाने हेतु आवेदन संयुक्त रूप से पेश किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उक्त आवेदन को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 13.07.2015 को तहसीलदार रामसर द्वारा स्वीकार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया। उपरोक्त खसरों में उतरदाता संख्या 16 व 17 का 1/9 हिस्सा अर्थात् 37 बीघा 01 बिस्वा भूमि आती है, उक्त संपूर्ण भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 16 व 17 द्वारा उतरदाता संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 06.10.2009 को पेश किया था। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 05.06.2010 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें उतरदाता संख्या 2 का नाम दर्ज कर दिया तथा तनसिंह पुत्र राजसिंह अपीलकर्ता का 1/18 हिस्सा सही रूप में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने के बाद समस्त खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से अपने खातेदारी खेतों का विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार रामसर के यहां पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार रामसर द्वारा दिनांक 13.07.2015 को विवादित खेतों का सहमति से बंटवारा करने का आदेश पारित किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त सहमति बंटवाडे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 643 में तनसिंह पुत्र राजसिंह के साथ उतरदाता संख्या 16 व 17 के नाम भी स्वीकृत कर दिया गया जबकि उतरदाता संख्या 16 व 17 उक्त सहमति बंटवाडे में विवादित खसरों में पक्षकारान भी नहीं थे, लेकिन नामान्तरकरण में अपीलकर्ता के साथ उनको सह खातेदार के रूप में पक्षकार जोडते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। अतः उक्त नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 643 अपास्त करते हुए अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट को इस नामान्तरकरण के संबंध में तत्समय ज्ञान नहीं होने से उस समय जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम अरसा करीबन 16 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 16 व 17 द्वारा मौजा पाबूसरिया की भूमि बेचान की धमकी दी तब अपीलकर्ता ने रैकर्ड का अवलोकन किया। दिनांक 29.02.2024 के म्यूटेशन की नकल ली तथा चालू जमाबंदी प्राप्त करने से ज्ञान हुआ। विवादित खेतों की जमाबंदियां ली तब अपीलकर्ता को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि अपीलकर्ता के हिस्से में उत्तरदाता संख्या 16 व 17 जिनके द्वारा पूर्व में विवादित खेतों का बेचान किया गया था, उसका भी नाम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अंकित कर दिया गया है। तब अपीलकर्ता द्वारा तहसीलदार रामसर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया तब तहसीलदार रामसर द्वारा कहा गया कि आप सक्षम न्यायालय में अपील करके उक्त नामान्तरकरणको चेलेन्ज कर सकते हो। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 643 दिनांक 13.07.2015 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 17 सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा पाबूसरिया पटवार क्षेत्र कंटल का पार के खसरा नंबर 72 रकबा 25 बीघा 08 बीस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 76 बीघा 18 बीस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 14 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नबंर 99 रकबा 29 बीघा, खसरा नंबर 107 रकबा 91 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नंबर 244/73 रकबा 13 बीघा 12 बीस्वा, खसरा नंबर 246/73 रकबा 13 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 333 बीघा 11 बीस्वा भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 17 के आये हुए थे। संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु समस्त सहखातेदारान द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में सहमति विभाजन करवाने हेतु आवेदन संयुक्त रूप से पेश किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उक्त आवेदन को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 13.07.2015 को तहसीलदार रामसर द्वारा स्वीकार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया। उपरोक्त खसरों में उतरदाता संख्या 16 व 17 का 1/9 हिस्सा अर्थात् 37 बीघा 01 बिस्वा भूमि आती है, उक्त संपूर्ण भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 16 व 17 द्वारा उतरदाता संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 06.10.2009 को पेश किया था। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 05.06.2010 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें उतरदाता संख्या 2 का नाम दर्ज कर दिया तथा तनसिंह पुत्र राजसिंह अपीलकर्ता का 1/18 हिस्सा सही रूप में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने के बाद समस्त खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से अपने खातेदारी खेतों का विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार रामसर के

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

यहां पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार रामसर द्वारा दिनांक 13.07.2015 को विवादित खेतों का सहमति से बंटवारा करने का आदेश पारित किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त सहमति बंटवाडे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 643 में तनसिंह पुत्र राजसिंह के साथ उतरदाता संख्या 16 व 17 के नाम भी स्वीकृत कर दिया गया जबकि उतरदाता संख्या 16 व 17 उक्त सहमति बंटवाडे में विवादित खसरों में पक्षकारान भी नहीं थे, लेकिन नामान्तरकरण में अपीलकर्ता के साथ उनको सह खातेदार के रूप में पक्षकार जोडते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि उतरदाता संख्या 16 व 17 द्वारा उतरदाता संख्या 2 को अपने स्वामित्व की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान की गई पूर्व में पारित नामान्तरकरण संख्या 469 जिसमें उतरदाता संख्या 16 व 17 का नाम हटाया गया था, उससे पूर्ण स्थिति का ज्ञान होता है कि नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 13.07.2015 गलत पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 643 में उतरदाता संख्या 16 व 17 का नाम जोडे जाने से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होतां है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामसर द्वारा मौजा पाबूसरिया के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 643 दिनांक 13.07.2015 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार रामसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट तनसिंह व अन्य सहखातेदारान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन स्वीकृति आदेश की अनुपालना में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर